सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,उ0प्र0,
विद्याभवन निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद उत्तर प्रदेश (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

पत्रांकः के0जी0बी0वी0/3–2/ 4728 **/2014–15 दिनांक** 04/3/15

विषयः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक **के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29 जुलाई 2013** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के **पत्रांक 2–16/2013 ईई 3 दिनांक 24 मार्च 2014** द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में नवीन दिशा निर्देश प्रेषित किये गये है। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन/नवीनीकरण के समय निम्नवत् दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा–

1. शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रेषित पत्रांक **के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29 जुलाई 2013** के अनुसार कार्यवाही की जाये। किन्तु इस सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के **पत्रांक 2–16/2013 ईई 3 दिनांक 24 मार्च 2014** से प्रेषित नवीन दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखा जायेगा। पी0ए0बी0 द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप अंशकालिक शिक्षिकाओं के चयन के समय उनकी अधिकतम संख्या 3 रखी जाय। जिन विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या 3 से अधिक है उनका नवीनीकरण करते समय इस संख्या को 3 तक सीमित रखा जाये। ऐसे नवीनीकरण प्रकरण निर्धारित जनपदीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ अवश्य प्रस्तुत किये जायें। जिला

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परियोजना समिति के समक्ष विषयवार आवश्यकता के आधार पर समुचित निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाये।

2. रिक्त उर्दू शिक्षक/शिक्षिका का नवीन चयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नवीन दिशा–निर्देशों एवं पी0ए0बी0 द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप प्रतिमाह मानदेय रू0 12000/– के आधार पर किया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के सेवा अनुबन्ध का नवीनीकरण एवं रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही नवीन शैक्षिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 : के0जी0बी0वी0/3–2/ 4728 /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. राज्य कार्यक्रम निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

3/3

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक